तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 57 / 2007 / नागौर गुदाराम बनाम भीखाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थितः– श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी श्री रामसुख चौधरी अभिभाषक अप्रार्थी सं0–1 श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत अभिभाषक अप्रार्थी सं02,3 निर्णय दिनांकः 25–05–2023 यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.10.2006 प्रकरण सं0 59 / 2006 बउनवानी भीखाराम बनाम गुदाराम के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी भीखाराम ने एक राजस्व वाद, वाद में वर्णित विवादित आराजी बाबत प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। वाद के साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.07.2006 को खारिज कर दिया , जिससे व्यथित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की , जिन्होने अपने आदेश अन्तर्गत निगरानी द्वारा अपील स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2006 को खारिज कर पक्षकारान के विरुद्ध वाद के निर्णय होने तक विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिनांक 7.10.2006 को पारित कर दिये, जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अभिभाषकगण उभयपक्ष की निगरानी पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या एक का विवादित आराजी पर कोई स्वत्व एवं अधिकार होना नही माना है। सम्वत् 2003 से प्रार्थी एवं प्रार्थी के पूर्व उसके पिता के नाम विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज चला आ रहा है। अप्रार्थीगण ने कभी भी राजस्व रिकार्ड के एग्जीस्टिंग	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 57 / 2007 / नागौर गुदाराम बनाम भीखाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को चुनौती नही दी है। उनका तर्क है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि कौन सा राजस्व रिकार्ड सही है या गलत यह वाद के दौरान ही तय होगा। इतना मानने के बाद विद्वान अपीलीय न्यायालय को एगजीस्टिंग राजस्व रिकार्ड को वैध मानते हुए अपना आदेश पारित करना चाहिए था लेकिन इसके विपरीत विद्वान अपीलीय न्यायालय ने से प्रार्थी का कब्जा पिछले 58 वर्ष से मानकर साक्ष्यों के विपरीत अपना निर्णय पारित किया है। उनका तर्क है कि खातेदार प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है फिर भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलबध रिकार्ड के विपरीत जाकर निगरानीधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन आदेश दिनांक 7.10.2006 को निरस्त कर अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए को खारिज करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभिभाषकगण अप्रार्थीगण ने निगरानीधीन आदेश को उचित व कानून सम्मत बताते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी पर संवत 2003 से लगातार रेस्पोडेंट / अप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का इस आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा। अप्रार्थीगण के पिता मोतीराम ने स्वयं लिख कर दिया था कि उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नही है, गलती से खातेदारी में दर्ज हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि वाद के निर्णय होने तक विवादित आराजी को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। चूँकि वाद परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका निस्तारण दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य सबूत लिये जाने के बाद होना है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित व कानून सम्मत है। अन्त में निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया। अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से निगरानी पर की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 57 / 2007 / नागौर गुदाराम बनाम भीखाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी व खसरा गिरदावरियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत 2003 से ही मोती जो कि अप्रार्थीगण का पिता है खातेदार दर्ज रहा है तथा उसके बाद अप्रार्थीगण का नाम दर्ज हुआ है। विवादित आराजी पर जहॉ तक कब्जा काश्त का प्रश्न है संवत् 2003 से 2006 की खसरा गिर0 में घेवरिया मोडिया की शिकमी काश्त अंकित है। संवत 2010 से 2013 की गिर0 में भी उपकाश्त मोडिया घेवरिया की दर्ज है। इसके बाद संवत 2020 से लगातार खसरा गिर0 में मोडा पुत्र रुगा की काश्त दर्ज रही है। जहॉ तक प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है उक्त सभी बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होते है। चूॅकि मूल वाद परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य सबूज लिये जाकर ही वाद का निस्तारण होना है। चूॅकि वाद के निर्णय होने तक विवादित आराजी को किसी भी प्रकार से रहन, बय व मुन्तकिल होने से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है, यदि इस बीच विवादित आराजी किसी भी प्रकार से रहन, बय व मुन्तकिल हो जाती है तो प्रकरण में अनावश्यक पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही विद्वान अपीलीय न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश के द्वारा पक्षकारान को ताफैसला वाद विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किया गया है, जो उचित व कानून सम्मत है। हस्तगत निगरानी के माध्यम से हम निगरानीधीन आदेश दिनांक 7.10.2006 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। परिणामस्वरुप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए. / 57 / 2007 / नागौर गुदाराम बनाम भीखाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए